

सेवा में,

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,  
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,  
नई दिल्ली।

**Sub: Original Application No. 192/2023 Gurdeep Singh & Ors  
Vs. State of Haryana.**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मैं यह ब्यान करता हूँ कि आप द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दोनों इकाइयों (चीनी मिल व ऐथानॉल प्लांट) का मौका निरीक्षण करवाया गया। मौका निरीक्षण के दौरान दोनों इकाइयों द्वारा लगाये गये वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण व अपशिष्ट संयंत्र उपकरण पूर्ण रूप से उपयुक्त पाए गए व चीनी मिल से बाहर गंदे पानी की कोई निकासी नहीं हो रही व ऐथानॉल प्लांट अपना सारा अपशिष्ट जल को शुद्ध करके प्लांट में ही उपयोग करते हैं। दोनों इकाइयों में ऑनलाइन उपकरण लगाए हुए हैं, जो हमें मौके पर बताए व दिखाए गए हैं जोकि प्रदूषण बोर्ड की वेबसाइट के साथ जुड़े हुए हैं। उपरोक्त संदर्भ में जो भी कार्यवाही की गई व हमें बताई एवं दिखाई गई हम उससे पूर्णतः संतुष्ट हैं व माननीय NGT का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।

धन्यवाद सहित,

प्रार्थीगण

सरपंच Gurdeep Singh  
ग्राम पंचायत यारी  
ब्लॉक शाहवादा, कुरुक्षेत्र

9466200014